उप खण्ड अधिकारी

4-7-23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप० नहीं। प्रतिवादी उप० नहीं। वकील वादी एवं प्रतिवादी को तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना के वकील वादी एवं प्रतिवादी न्यायालय में उप० नहीं। अतः वादी का वाद अदम दाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner